III/निग0/रीवा/भू-रा0/2017/2872

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सार्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES Rs.5 INDIA FIVE RUPEES Rs.5 INDIA FIVE RUPEES Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित

Rs 30

शम्भूमणि शर्मा तनय यज्ञनारायण शर्मा निवासी ग्राम डढवा तहसील हुजूर हाल गुढ जिला रीवा (म0प्र0) -----------निगरानीकर्ता

बनाम्

1. छोटेलाल शर्मा तनय स्व0 यज्ञनारायण शर्मा
2. लालजी (मृत)

(अ). सत्यवती शर्मा पत्नी लालजी शर्मा

(ब). सन्तोष शर्मा

(स). सुभाष शर्मा दोनो पिसरान स्व0 लालजी शर्मा

(द). इन्द्रवती पुत्री लाजजी शर्मा शर्मा निवासी ग्राम डढवा तहसील हुजूर हाल गुढ जिला रीवा (म0प्र0)

3. रामनिवास तनय यज्ञनारायण
4. अशोक पिता
5. चन्दन शर्मा दोनो पिसरान रामायण प्रसाद शर्मा

----------अनावेदकगण

अधि0 श्री अमिताभ चतुर्वेदी द्वारा पेश।

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी बिरुद्ध आज्ञा श्री अनुविभागीय अधिकारी क्षेत्र गुढ बाबत् राजस्व प्रकरण क्रमांक-58/ए27/2013-14 आदेश दिनांक 3/08/2017 एवं 17/08/2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959ई0।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/2872

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 58/अ-27/13-14 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2017 एवं 17.08.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हों। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	